सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 641 राँची, बुधवार, 7 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

05 अगस्त, 2019

संख्या-5/आरोप-1-332/2014 का०-6297-- श्री जेवियर हेरेंज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-706/03, गृह जिला-गुमला), के अनुमंडल पदाधिकारी, चास की कार्यावधि में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1475/स्था०, दिनांक-01.10.2010 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं। श्री हेरेंज के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्न आरोप हैं:-

"1984 सिख दंगे में मुआवजा भुगतान से संबंधित सरकारी निदेश पत्रांक-सं०यू० 13018/46/2005 दिनांक 16.01.2006 से स्पष्ट है कि पूर्व में मुआवजा भुगतान किये गये लाभुकों को ही भुगतान किया जाना है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास श्री जेवियर हेरेंज ने गलत अभिलेख तैयार कर श्री सर्वजीत सिंह कलसी को रू०16,30,000/- एवं स्व० सरदुल सिंह कलसी (प्राप्तकर्ता श्री सर्वजीत सिंह कलसी) को रू०- 55,00,000/- का मुआवजा भुगतान किया। संबंधित अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि श्री कलसी को पूर्व में कोई भी भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में चास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। वास्तव में जिला नजारत शाखा से रू०- 48,000/- का पूर्व में श्री कलसी को भुगतान किया गया था, अतः सरकारी निदेश के आलोक में रू०- 4,32,000/- का भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि रू0 71,30,000/- का भुगतान कर दिया गया। इसके लिए श्री हेरेंज प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।"

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-793, दिनांक-14.02.2011 द्वारा श्री हेरेंज से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की दशा में विभागीय संकल्प सं०-4395, दिनांक-30.07.2011 द्वारा श्री हेरेंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती राजबाला वर्मा, भा०प्र०से०, तत्कालीन प्रधान सचिव; खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-8297, दिनांक-16.09.2015 द्वारा श्री हेरेंज को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।

4. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री हेरेंज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका सं० W.P.(S) No.-4772/2015 दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-24.08.2016 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है- "In view of the aforesaid facts and as a logical sequitor to the reasons stated hereinabove, the impugned order of punishment of dismissal vide memo dated 16.09.2015 (Annexure-16), issued under signature of the Respondent No. 4 being not legally sustainable, is quashed and set aside and the respondents are directed to reinstate the petitioner in service forthwith. However, respondents are at liberty to start the proceedings from the stage of supply of documents after affording reasonable opportunity to the petitioner and complete the proceeding expeditiously preferably within a period of six months from the starting of the initiation of the proceedings."

5. याचिका सं०-W.P.(S) No.-4772/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक-24.08.2016 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-9793, दिनांक 13.09.2017 द्वारा श्री हेरेंज को सरकारी सेवा में पुनर्बहाल करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् इनके विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-135, दिनांक 29.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री हेरेंज के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

7. श्री हेरेंज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु श्री हेरेंज को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

8. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-8649, दिनांक 28.11.2018 द्वारा श्री हेरेंज से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इनसे उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-129, दिनांक 07.01.2019 द्वारा इन्हें स्मारित किया गया।

9. श्री हेरेंज के पत्र, दिनांक 07.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया है।

10. श्री हेरेंज द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री हेरेंज को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त करने के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

11. विभागीय पत्रांक-2758, दिनांक 02.04.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री हेरेंज को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया।

12. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1368, दिनांक 03.07.2019 द्वारा श्री हेरेंज को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

13. दिनांक 30.07.2019 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री हेरेंज को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

अतः **श्री जेवियर हेरेंज, झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास को संकल्प निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 641 -- 50